रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 28 अक्तूबर, 1989/6 कार्तिक, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
सी–अनुभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 16 अक्तूबर, 1989

संख्या जी० ए० डी० (जी० आई०) 6 (एफ)-4/89.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०) 18/77–जी० ए० सी०-II, दिनांक 5 सितम्बर, 1984 व क्रमांक जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)-2/86, दिनांक 31 मार्च, 1986 का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी, भूतपूर्व अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई०) के स्थान पर श्री पीरू राम, विधायक, जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई०) के अध्यक्ष हैं, को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति के सदस्य मनोनीत करने के सहर्ष तत्काल आदेश देते हैं।

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)- 2/86, दिनांक 31 मार्च, 1986 का क्रम जारी रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी, संसद सदस्य को उक्त समिति में सदस्य बने रहने के सहर्ष तत्काल आदेश देते हैं।

2512-राजपत्र/89-28-10-89—1,194. (2649) मूल्य : 1.00 रुपया

इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें, इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी0 ए0 डी0 (पी0 ए0) 4 (डी0)-18/77-जी0 ए0 सी0, दिनांक 20 अक्तूबर, 1983 द्वारा जारी की गई हैं, लागू होंगी।

शिमला-171002, 17 अक्तूबर, 1989

संख्या जी0 ए0 डी0 (ए) एफ(4) 24/80-खण्ड-ii.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (1980 का 8) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्या जी0 ए0 डी0-(ए) एफ(4) 24/80, दिनांक 11 जून, 1984 द्वारा प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम नियम, 1984 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन) नियम, 1989 है।

2. अध्याय 4 (नियम 6) और उपाबन्ध-ङ का विलोप.—अध्याय-4 (नियम-6) और उपाबन्ध-ङ का विलोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
बी0 सी नेगी,
मुख्य सचिव।

[*Authoritative English text of Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation (Amendment) Rules*, 1989, *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-171002, *the 17th October*, 1989

No. GAD(A)F(4)24/80 (Vol. II.—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979 (Act No. 8 of 1980) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Rules, 1984. published *vide* Government notification No. GAD (A)F(4)24/80, dated the 11th June, 1984, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation (Amendment) Rules, 1989.

2. *Omission of Chapter IV* (*Rule* 6) *and Annexure-E.*—Chapter IV (Rules 6) and Annexure-E of the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Rules, 1984 shall be omitted.

By order,
B. C. NEGI,
Chief Secretary.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 1989

संख्या 6-25/77 परि0—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) की धारा 14 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक्टर यशवन्त सिंह परमार, यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फोरेस्ट्री सोलन के निदेशक विस्तारी शिक्षा के यान संख्या एच0 आई0 ए0-1077 को टोकन कर के संदाय से छूट देते हैं।

आदेश द्वारा,
हर्ष गुप्ता,
सचिव।

[*Authoritative English text of the Department notification No. 6-25/77-Tpt., dated 12-10-1989 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 12th October, 1989

No. 6-25/77-Tpt.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt the vehicle No. HIA-1077 of the Director, Extension Education of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan from the payment of token tax in Himachal Pradesh.

By order,
HARSH GUPTA,
Secretary.

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANGRA AT DHARAMSHALA (H. P.)

NOTIFICATION

Dharamshala, the 13th October, 1989

No. FDS-KGR-notification/89-11524-11624.—In continuation to this office notification No. FDS-KGR-notification/89-9768-9855, dated 28-8-1989 and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1) (*e*) of Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, S. Roy, District Magistrate, Kangra at Dharamshala do hereby order that this notification shall remain operative for a further period of two months from the date of its publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

S. ROY,
District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, MANDI, DISTRICT MANDI (H. P.)

ORDER

Mandi, the 19th October, 1989

No. MND-DEV-S & P/89-39120-25.—The orders issued *vide* this office No. PCH-220-8(1) 1964-II-1662-1667, dated 21-4-1987 regarding suspension of Shri Amar Singh, Pradhan, Gram Panchayat Sandhole, Development Block Dharampur, District Mandi under section 54(1) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 are hereby revoked with immediate effect

These orders will not effect on the proceedings separately initiated by the Special Secretary (Panchayats) to the Government of Himachal Pradesh *vide* order No. PCH-HA (5) 213/76, dated 10-6-1987.

Sd/-
Deputy Commissioner,
Mandi, District Mandi.

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 17 अक्तूबर, 1989

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) लूज.—क्योंकि श्री जिया लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत आंटी, विकास खण्ड जुब्बल, जिला शिमला के विरुद्ध स्कैब ग्रस्त सेब चोटाने तथा सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे से सम्बन्धित कई मामले भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज हैं;

और क्योंकि इन दर्ज मामलों में अंकित आरोप बड़े गम्भीर हैं जिनमें उक्त श्री जिया लाल ने राजस्व तथा वन विभाग के कर्मचारियों से मिल कर सरकारी जमीन हथियाई है और उसमें से लाखों रुपये के पेड़ कटाए हैं;

और क्योंकि इन आरोपों पर उक्त श्री जिया लाल को 27-7-89 को गिरफ्तार भी किया गया था तथा बाद में माननीय मुख्य दण्डाधिकारी शिमला के आदेशों पर उन्हें छोड़ दिया गया है;

और क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत का पद एक ऐसा सार्वजनिक महत्व का पद है जिस पर इस तरह के व्यक्ति को, जिसका नैतिक आचरण शंकाग्रस्त हो, बनाए रखना जनहित में नहीं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उक्त श्री जिया लाल को यह कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश देते हैं कि उपरोक्त अंकित आरोपों के दृष्टिगत क्यों न उन्हें ग्राम पंचायत आंटी के प्रधान पद से निलम्बित किया जाए ।

इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर जिलाधीश शिमला के माध्यम से इस कार्यालय में जारी होने के एक मास के अन्दर-अन्दर पहुंच जाना चाहिए अन्यथा अगली वांछित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 अक्तूबर, 1989

संख्या पी० सी० एच० एच० ए०(5) 40/78.—क्योंकि श्री कांशी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत नाण्डी ने पाठशाला भवन मण्डी हेतु 1600 स्लेट दिनांक 22-8-86 को, 1000 स्लेट 1-1-87 को, 2000 स्लेट 7-11-87 को श्री सोहन लाल ठाकुर, कुफरी खान वाले से क्रय किए हुए दिखाए तथा जिसका व्यय मु० 1530/- रुपये, 1000/- रुपये तथा 2000/-रुपये कैश बुक की पृष्ठ संख्या 55, 65 तथा बुक नं० 2 के पृष्ठ 2 पर क्रमशः दर्ज है,का प्रयोग नवनिर्मित भवन में किया दिखाया गया है जबकि पुराने भवन के जो कि उक्त प्रधान ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की की स्वीकृति के गिरा दिया था, के 1700 स्लेट भी नवनिर्मित भवन में प्रयोग दिखा कर उक्त स्कूल भवन में कुल 6300 स्लेटें प्रयोग किए बताए हैं जबकि इस इमारत में लगभग 4500 स्लेट ही प्रयुक्त हुए लगते हैं। इस तरह वह 1800 स्लेटों का व्यय मु० 1800/- रुपये फर्जी दिखाने के आरोप में संलिप्त लगते हैं;

और क्योंकि उक्त श्री कांशी राम प्रधान ने पाठशाला मण्डी के अध्यापक से 1180 स्लेट 7'×14' की कीमत मु० 1000 प्राप्त किए जबकि पंचायत अभिलेख में ऐसे व्यय या अंशदान का कोई भी विवरण न दर्शा कर राशि के दुरुपयोग में संलिप्त लगते हैं;

और क्योंकि उक्त प्रधान को श्री नोख सिंह तत्कालीन प्रधान, ग्राम पंचायत नाण्डी ने निरी बावली निर्माणाधीन मु० 2511/- के बाऊचर सामग्री सहित (सीमेंट 40 बैग—1331.20/-, सरिया 603.20/-, सीमेन्ट

ढुलाई 150.00/-, सरिया ढुलवाई 7.00/- पत्थर तुड़वान 220.00/-, रेता बजरी ढ़लवान 180.00/-, सीमेन्ट उतरवाई 20 00/-,) प्राप्त किए। परन्तु उपायुक्त मण्डी के कथनानुसार न तो बावली निर्मित पाई गई तथा न ही इस हेतु क्रय सामग्री मौका पर पाई गई । इस प्रकार उक्त श्री कांशी राम मु0 2511.40/- रुपये की राशि सामग्री के दुरुपयोग में संलिप्त लगते हैं;

और क्योंकि श्री कांशी राम प्रधान पर पंचायत की नकद बाकि 25-3-87 को मु0 7547.00/- रुपये, 31 3-87 को 5762.00/- रुपये, 4-5-87 को 5762.00/- रुपये, 30-6-87 को मु0 5762.00/- रुपये, 13-7-87 को 14691.00/- 29-7-87 को मु0 16691.75/- रुपये, 1-8-87 को मु0 23136.75/- रुपये, 12-10-87 को 26256.75/- रुपये, 2-11-87 को 30256.75/- रुपये, 7-11-87 को 26895.00/- रुपये, 21-11-87 को मु0 14379.49/- रुपये, 22-11-87 को मु0 13617.00/- रुपये, 1-1-88 को 8617.00/- रुपये, 16-3-88 को मु0 7117.49/- रुपये, 30-3-88 को 1117.49/- रुपये, 26-6-88 को मु0 688.49/- रुपये, 1-2-88/10-8-88 को मु0 29780.49/- रुपये, 6-1-88/ 10-8-88 को मु0 61680.49/- रुपये, 16-8-88 को मु0 62685.19/- रुपये, 31-8-88 को मु0 56182.19/- रुपये, 1-9-88 को मु0 26234.19/- रुपये, 14-9-88 को मु0 4018.89/- रुपये तथा 4-10-88 को 4018.89 रुपये अनियमित रूप से उपरोक्त दिनांकों को अपने पास रख कर उसका दुरपयोग करने में संलिप्त लगते है ।

और क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते ह। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भेजने की कृपा करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित